


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही का इतिहास जरा</p>	<p>नम्बर व तारीख आह्वान जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>28-10-21</p>	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 गुम पंचायत अमरगढ़ में पेश हुई अप्रार्थगण 423 के सम्बन्ध वाक लमिल होकर प्राप्त हुए जिले शा.पठ किये गये। प्रार्थगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार दिया जाकर विषय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर भस्म से कम हो</p> <p style="text-align: center;">   <b>डॉ. पूजा सक्सेना</b>  उपखण्ड अधिकारी माण्डल  प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 </p>	



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 1-23/2021 रा.पत्र

1- श्रीमती रसीदा बेगम (पत्नी अब्दुल क़ादर बिनानी) नागौर तहसील (मांडल) --प्रार्थी

बनाम

1- श्री रसूलुल्लाही हिराबाय गाद बिनानी- भाकलिया तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण  
(प्रस्थापित प्रा-पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 28.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.ज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर देन किया कि ग्राम...~~भाकलिया~~...पटवार हल्का...~~31/1/174~~...तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं...~~65/1/174~~...कुल किता .....~~01~~...रकबा...~~01 बीघा~~ हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक...~~21.10.21~~...को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...~~भाकलिया~~ पटवार हल्का...~~31/1/174~~...तहसील मांडल में स्थित आराजी नं...~~65/1/174~~...कुल किता .....~~01~~...रकबा...~~01 बीघा~~ हेक्टेयर.....भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक...~~रसूलुल्लाही~~...को .....~~4500/-~~...रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर भिद्यमानुसार पत्थरगद्दी को जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021